भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3690
11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कुत्तों के काटने के खतरे

3690. श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री भोला सिंह:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कुत्तों के खतरे के मामलों जैसे कि कुत्तों के काटने से संबंधित घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का देश में आवारा कुतों के खतरे को रोकने और पालतू कुत्तों के प्रबंधन के लिए विनियमन हेतु कड़े दिशा-निर्देश लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार वर्ष 2030 तक देश में, डॉग मेडिएटेड रेबीज उन्मूलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश में कुत्तों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से (ङ): समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पंजाब सहित भारत में कुत्ते के काटने के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 (2010 में संशोधित) अधिनियमित किया है जिसे आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाना है। नियमों का मुख्य रूप से फोकस आवारा कुत्तों के एंटी-रेबीज टीकाकरण और आबादी स्थिरीकरण के उपाय के रूप में आवारा कुत्तों को नपुंसक बनाने पर है।

इसके अतिरिक्त, पशु कल्याण बोर्ड, पशुपालन विभाग ने पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम (एबीसी कार्यक्रम) के समुचित कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को कई दिशा-निर्देश/सलाह जारी की हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से 28 सितंबर, 2021 को वर्ष 2030 तक भारत में कुत्ते के कारण होने वाली रेबीज के उन्मूलन (एनएपीआरई) के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है: जिसके उद्देश्य निम्नलिखित है:-

i. कुत्तों द्वारा संचरित मानव रेबीज के उन्मूलन के लिए कार्य योजना तैयार करना।
ii. एनएपीआरई के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सुदृढ करना।
iii. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, पशु चिकित्सा सेवाओं और स्थानीय शासी निकायों की क्षमताओं को सुदृढ करना।
iv. उन कार्यकलापों की पहचान करना और उन्हें समर्थन करना जिनका कार्यनीतिक रूप से उपयोग किए जाने से कुत्ते के कारण होने वाले रेबीज का उन्मूलन हो सकेगा।
v. सभी हितधारकों के बीच समन्वय और समर्थन तंत्र को सुदृढ करना।
vi. जब तक संभव हो, मानव रेबीज की रोकथाम की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उन सभी के लिए प्रभावी, गुणवत्ता आश्वस्त और सुलभ टीकाकरण, जिन्हें उनकी आवश्यकता है।

कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर की संयुक्त संचालन समिति गठित की गई है और राज्यों को राज्य स्तरीय समिति गठित करने के लिए कहा गया है।

रेबीज के मामलों की सूचना दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मानव रेबीज को सूचना दिए जाने योग्य बीमारी बनाने के लिए कहा है ताकि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों (मेडिकल कॉलेजों सहित) द्वारा राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के औपचारिक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी संदिग्ध, संभावित और पुष्टि किए गए मानव रेबीज मामलों की सूचना देना अनिवार्य हो सके।

भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य और जिला स्तरीय कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता भी प्रदान करती है। भारत सरकार ने एनएचएम के तहत अतिरिक्त कार्यकलापों को भी मंजूरी दी है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राष्ट्रीय नि:शुल्क औषधि पहल के माध्यम से पशुओं के काटने के पीड़ितों के लिए एंटी-रेबीज वैक्सीन/एंटी-रेबीज सीरम की खरीद के लिए बजट प्रावधान।
ii. एनआरसीपी के तहत चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण।
iii. एनआरसीपी के तहत आईईसी/बीसीसी: रेबीज जागरूकता और पशुओं के काटने की स्थिति में क्या करें और क्या न करें।
iv. निगरानी और मॉनिटरिंग (समीक्षा बैठकें, यात्रा) और निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए प्रारूपों का मुद्रण।

अनुलग्नक

आईडीएसपी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए कुत्ते के काटने के मामलों की संख्या			
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2020**	**2021**	**2022**
अंडमान निकोबार	354	149	345
आंध्र प्रदेश	294006	169238	189225
अरुणाचल प्रदेश	2919	1193	2497
असम	33309	10041	39565
बिहार	120993	44602	141421
चंडीगढ़	13447	6306	5365
छत्तीसगढ़	45040	14835	21020
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3926	2341	4169
दिल्ली	53093	13704	6634
गोवा	14547	3208	8057
गुजरात	431425	192364	169261
हरियाणा	102528	36328	35375
हिमाचल प्रदेश	17292	7658	15677
जम्मू और कश्मीर	18764	4947	22108
झारखंड	35988	11564	9470
कर्नाटक	217645	90323	163216
केरल	81118	51018	4000
लद्दाख	1193	613	2165
लक्षद्वीप	0	0	0
मध्य प्रदेश	176347	64827	65833
महाराष्ट्र	508620	210262	390878
मणिपुर	3266	1072	4442
मेघालय	8504	2509	5302
मिजोरम	4778	660	891
नगालैंड	543	212	453
ओडिशा	155031	59085	64642
पुदुच्चेरी	22580	7084	11937
पंजाब	33934	9245	15517
राजस्थान	324500	113916	87401
सिक्किम	5315	2411	3845
तमिलनाडु	754457	228625	364210
तेलंगाना	66782	24124	92613
त्रिपुरा	7665	3616	3051
उत्तर प्रदेश	628712	93033	191346
उत्तराखंड	22959	10122	15627
पश्चिम बंगाल	421913	209898	22627

******